आपके आदर्श रोजगार अधिकारः
अस्थायी सहायता एजेन्सी कार्य कर्मचारी

जानकारी पत्रक

अस्थायी कार्य एजेन्सी के कार्य आधारित कर्मचारी

आप एक अस्थायी कार्य एजेन्सी के कार्य आधारित कर्मचारी हैं, यदि आप व आपकी एजेन्सी इस बात पर राजी हैं, तब उनके द्वारा आपको किसी अस्थायी कार्य हेतु एजेन्सी के ग्राहक (अथवा ग्राहकों) के साथ कार्य प्रदान किया जाएगा या ऐसा प्रयत्न किया जाएगा। आप चाहे किसी ग्राहक के साथ काम कर रहे हैं या नही, आप अपनी एजेन्सी के साथ कर्मचारी के रूप में ही रहेंगे।

जब भी आप किसी कार्य पर रहेंगे, तब भी एजेसी ही आपकी नियोक्ता होती है, ग्राहक आपके नियोक्ता नही रहेंगे।

यदि आप एजेन्सी से बाहर हो जाते हैं अथवा एजेन्सी द्वारा निकाल दिये जाते हैं, तब आप कार्य आधारित कर्मचारी नही रह जाते।

इस जानकारी पत्रक में आपके नवीन कर्मचारी आदर्श नियम, 2000 (ईएसए) अधिकारों संबंधी जानकारी संक्षेप में दी गई है, जो सन् 2009 में विधी का स्वरूप धारण कर चुके हैं। आपको इस ईएसए के अंतर्गत न्यूनतम वेतन, कार्य के घन्टों की सीमा, अधिक कार्य पर वेतन, छुट्टियां और किसी कार्यवश अवैतनिक छुट्टियां, आदि संबंधी जानकारी मिल सकती है। (आपके कार्य की प्रकृति के आधार पर कुछ छूट मिल सकती है।)

सार्वजनिक अवकाश की पात्रता व सार्वजनिक अवकाश का वेतन

ओन्टारियो में 9 सार्वजनिक अवकाश होते हैं। सामान्यतः यदि आप किसी कार्य पर हैं व उस दौरान सार्वजनिक छुट्टी होती है, ऐसे में आपको सार्वजनिक अवकाश लेने का अधिकार है व आपको उसका वेतन भी मिलेगा। सार्वजनिक अवकाश के वेतन की गणना करने के लिये हमारी साईट पर देखे ः **http://www.labour.gov.on.ca/english/es/tools/php_calc.php**.

यदि आप लिखित रूप से अवकाश के दिन काम करने के लिये राजी होते हैं, तब आपको ये अधिकार है किः

- आपको सार्वजनिक अवकाश का वेतन साथ ही अधिशुल्क वेतन (न्यूनतम आपके सामान्य वेतन का डेढ़ गुना) वेतन मिले अथवा
- आपका एक दिन का सामान्य वेतन व सार्वजनिक अवकाश के वेतन के साथ ही एक अन्य दिन का अवकाश

यदि सार्वजनिक अवकाश किसी ऐसे दिन पड़ता है जब आप कार्य पर होते हुए भी सामान्यतः कार्य नही करेंगे (अथवा उस दिन अवकाश हो), तब आपको सार्व जनिक अवकाश के स्थान पर अन्य दिवस पर अवकाश लेने का अधिकार है व आप सार्वजनिक अवकाश के दिन का वेतन ले सकते हैं, अथवा आपके लिखित में राजी होन पर आपको सार्वजनिक अवकाश का वेतन मिल सकता है। यदि सार्वजनिक अवकाश किसी ऐसे दिन आता है जब आप किसी कार्य पर नही हैं, तब आपको सार्वजनिक अवकाश का वेतन पाने की पात्रता होगी।

आपको ये सार्वजनिक अवकाश के अधिकार हैं यदि आप एजेन्सी के "कार्य चुनाव" कर्मचारी हें तब भी।

कार्यसमाप्ति का नोटिस व विच्छेद भुगतान का अधिकार

यदि आपको किसी अस्थायी सहायता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम तीन माह के लिये काम पर रखा गया है, ऐसे में सामान्यतः आपको ये अधिकार है कि आपको कार्य समाप्ति संबंधि नोटिस मिले यदि वह एजेन्सी आपकी सेवा को समाप्त कर रही है। आप कार्यरत रहते हुए भी नोटिस पा सकते हैं, अथवा नोटिस की कार्यावधि का वेतन पा सकते हैं अथवा दोनो का संयुक्त रूप। सामनयतः आपको न्यूनतम एक सप्ताह (यदि आपने न्यूनतम 3 माह व एक वर्ष से कम की अवधि के मध्य कार्य किया है) से आठ सप्ताह (यदि आपने आठ वर्ष या अधिक की अवधि तक कार्य किया है) का नोटिस मिलना चाहिये। आपने जितने समय तक एजेन्सी के लिये कार्य किया है, वही अवधि आपके नोटिस की अवधि का निर्धारण करती है, इसमें आपका एजेन्सी के द्वारा किसी अन्य ग्राहक के लिये किये गए कार्य व उसकी अवधि से कोई संबंध नही होता।

आपको कार्यसमाप्ति के नोटिस को सार्वजनिक करने का भी अधिकार है। आपके इस अधिकार संबंधी अधिक जानकारी के लिये हमारी वेबसाईट पर भेंट देंः **http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/guide/tempagencies.php.**

यदि आप किसी एजेन्सी के लिये पांच वर्ष या अधिक समय तक कार्य कर रहे हैं, आपको एजेन्सी की ओर से विच्छेद भुगतान पाने का अधिकार है।

आप यदि एजेन्सी द्वारा "कार्य चुनाव" कर्मचारी भी बनाए गए हैं, तब भी आपको ये अधिकार प्राप्त है।

एजेन्सी आपसे कुछ विशेष शुल्क नही ले सकती

एजेन्सी आपसे उसके कर्मचारी होने अथवा आपके लिये कार्य खोजने के लिये कोई शुल्क नही ले सकती। वे आपसे इस जानकारी को देने का शुल्क नही ले सकते कि आपको किस प्रकार से अपना जानकारी पत्र बनाना है अथवा साक्षात्कार के लिये किस प्रकार से तैयारी करनी है। यदि आप इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने का विकल्प चुनें या ना चुनें, आपसे, इससे संबंधित किसी भी प्रकार का शुल्क नही लिया जा सकता।

यदि किसी एजेन्सी के ग्राहक द्वारा आपको कार्य संबंधी संदर्भ देने का प्रस्ताव किया जाए

एजेन्सी अपने ग्राहक को इस बात के लिये प्रतिबन्धित नही कर सकती कि वे आपको किसी कार्य का सन्दर्भ न प्रदान करें।

यदि किसी एजेन्सी के ग्राहक द्वारा आपको अपना कर्मचारी बनने हेतु प्रस्ताव दिया जाए

कोई भी एजेन्सी अपने ग्राहक को प्रतिबंधित नही कर सकती यदि वे आपको सीधे कर्मचारी के बतौर लेना चाहे। यदि एजेन्सी आपको अपने किसी ग्राहक के साथ किसी कार्य के लिये नियुक्त करती है, तब वे ग्राहक से आपकी नियुक्ति का शुल्क ले सकते हैं, परंतु ये सिर्फ आपके द्वारा ग्राहक के लिये कार्य करने की तिथी से छः महीने की अवधि के लिये होगा।

यदि एजेन्सी के किसी ग्राहक द्वारा आपको उनका कर्मचारी बनने का प्रस्ताव दिया जाता है, तब आपको एजेन्सी ऐसा करने से रोक नही सकती। एजेन्सी द्वारा आपसे कोई शुल्क नही लिया जा सकता यदि ग्राहक स्वयं आपको कर्मचारी के रूप में लेना चाहता हो।

वह जानकारी जो आपको एजेन्सी से मिलनी चाहिये

यदि आप किसी एजेन्सी के कार्य आधारित कर्मचारी बनते हैं, तब एजेन्सी द्वारा आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी जानी चाहिये जिनमें सूचना पत्रक, एजेन्सी के विधिक नाम व संपर्क की लिखित जानकारी भी शामिल है। एजेन्सी द्वारा आपको, कर्मचारी के रूप में स्वीकार करने के बाद शीघ्रातिशीघ्र ये जानकारी दी जानी चाहिये।

जब भी एजेन्सी आपको अपने किसी ग्राहक के साथ कार्य का प्रस्ताव देती है, तब आपको कुछ विशेष जानकारी दी जानी चाहिये जिसमें ग्राहक का विधिक नाम व संपर्क संबंधी जानकारी, आपका वेतन व अन्य लाभ (यदि लागू हो), कार्य के घन्टे, कार्य से संबंधित आधारभूत जानकारी, संपूर्ण कार्य की अनुमानित अवधि (यदि ज्ञात हो) और वेतन का दिन व अवधि। यदि एजेन्सी द्वारा आपको ये जानकारी दी जाती है, परंतु प्रस्ताव के दौरान यदि इसे लिखित में नही दिया जाता है, तब जल्दी से जल्दी ये दिया जाना चाहिये।

एजेन्सी के ग्राहक द्वारा आपको किसी भी तरीके से पूछताछ पर दन्ड नही दिया जा सकता अथवा आपके ईएसए अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता

यदि आप अपने रोजगार के आदर्श अधिकारों के विषय में पूछते हैं अथवा ये बताते हैं कि आपको अधिकार प्राप्त है, तब किसी भी प्रकार से उनके द्वारा आपको दन्ड नही दिया जा सकता और इसमें आपके कार्यसमाप्ति पर प्रतिबन्ध भी शामिल है। (यही अधिकार आप अपनी एजेन्सी के साथ भी रखते हैं यदि आप उनसे अपने कार्य व ईएसए संबंधी जानकारी लेते हैं।)

यदि आपको कोई प्रश्न है या आप कोई दावा करना चाहते हैं

यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है, अथवा आपको ये महसूस होता है कि आपको अपने अधिकार सही तरीके से नही प्राप्त हो तहे हैं व आप श्रम मंत्रालय में कोई दावा करना चाहते हैं, तब कृपया रोजगार आदर्श सूचना केन्द्र पर (416) 326-7160 (टोल फ्री 1-800-531-5551 पर) अथवा श्रवणबाधितों हेतु टीटीवाय 1-866-567-8893 पर संपर्क करें। आप अधिक जानकारी के लिये www.labour.gov.on.ca पर संपर्क कर सकते हैं व मंत्रालय से ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं अथवा ऑनलाईन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको सर्विस ओन्टारियो केन्द्र दो भी रोजगार आदर्श दावे के फॉर्म प्राप्त हो सकते हैं। अपने नज़दीकी केन्द्र के विषय में जानकारी हेतु संपर्क करें: 1-800-267-8097.

इस जानकारी को सार्वजनिक सेवा के तहत प्रदान किया जा रहा है। जबकि हम कोशिश करते हैं कि सूचना नई और सही हो लेकिन गल्तियां कभी कभी हो सकती हैं। इसलिए हम सूचना की पुष्टि नहीं कर सकते। जहां संभव हो पाठकों को सूचना पर कार्य करने से पहले उसकी पुष्टि करें।

©Queen’s Printer for Ontario, 2009
ISBN 978-1-4435-0985-5 (PDF)
Printed in Canada